



22-9207-I/16

237

०२१२१८८ २०७२९ माहल राज्य विवाह

रु. २२३८ - I/16 अंगूठन:
दिनांक ६/१०/१६
मही राज्य विवाह विवाह विवाह
२१/१०/१६

350
सुधा आदि २१/१०/१६

पत्रका
मादां आदि - ३१०१५२२४

R. T. S.
२१/१०/१६

२२३८ ३१०१५२१ ३१०१५२१ धारा ३५ (२) रु. ५०

रु. २१०१५२१ २१०१५२१ - १९५९ के अंतर्थ

श्रीमान ०२१२१८८

३१०१५२१ की दोहरी दो अवधि - १२
निकाल कर्ता उमीद है। -

१) इसके लिए रु. २२३८ - I/16 से आदेश
दिनांक ६/१०/१६ को ३१०१५२१ राज्य विवाह विवाह को

३१०१५२१ अंडा खाली से निकाल दिया जाएगा, अंदर
आवधि ५१२१ राज्य विवाह को १८/११/१६ आवाहन दिया जाएगा,
अंदर ३१०१५२१ को लागू अवधि अधिकार, जो २१०१५२१ से २१०१५२१ तक है तब अवधि अधिकार,

२) इसके लिए रु. २२३८ - I/16 से आदेश दिनांक

६/१०/१६ (कुल) १२०१५२१ दिन विवाह विवाह ३१०१५२१ अवधि

का - १२०१५२१ दिन जाल।

13 अक्टूबर - 21/10/16

३१०१५२१ अवधि विवाह
विवाह विवाह विवाह


R. T. S.

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रेस्टो० ९२०७—एक / १६

जिला —टीकमगढ़

स्थान दिनांक	तथा कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.10.16	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा रेस्टो० आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35 (२) म०प्र० भू—राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत किया। उनके द्वारा तर्क में बताया गया है राजस्व मण्डल के प्रकरण क्रमांक 2238—एक / १६ में आदेश दिनांक 06.10.16 को अद्यम पैरवी में खारिज कर दिया गया है। न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 6.10.16 को आवेदक अधिवक्ता को अनावेदक अधिवक्ता के रूप में लेख किया गया है जबकि आवेदक अधिवक्ता उस दिन उपस्थित थी।</p> <p>2— आवेदक अधिवक्ता का रेस्टो० आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण क्रमांक निग० 2238—एक / १६ में आदेश दिनांक 6.10.16 पुनः नंबर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेस्टो० आवेदन स्वीकार कर निराकृत किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> सदाचार्य</p> <p style="text-align: left;"></p>	